



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032026-271072  
CG-DL-E-19032026-271072

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1347]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 1347]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026

**का.आ. 1412(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम] 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4057 (अ) तारीख 03 सितम्बर 2025, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 04 सितम्बर 2025, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तमिलनाडु राज्य में नेचुरल गैस परिवहन के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दक्षिण कावेरी परिसंपत्ति संजाल पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 30.10.2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 के अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कॉरपोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

### अनुसूची

जिला : रामनाथपुरम				राज्य : तमिल नाडु		
क्रम सं.	गाँव का नाम	तालुक का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	एयर	व. मी
1	2	3	4	5	6	7
1	करण-55	रामनाथपुरम	155/4A1	00	06	45
2			155/4A2	00	04	20
3			155/4A3A	00	03	75
4			155/3A1A1	00	09	75
5			155/12	00	01	05
6			155/13	00	04	20
7			155/6	00	03	00
8			157/2A1	00	04	50
9			157/2A2	00	03	15
10			158/1	00	19	20
11			145	00	56	70
12			138/1B	00	49	50
13			139/1	00	16	35
14			168	00	91	00
15			112/2	00	36	80
16			112/1	00	20	50
17			114/7C	00	02	25
18			114/7B	00	02	50
19			114/7A	00	02	10
20			138/1A	00	04	05
21			114/4	00	03	00
22			114/3	00	03	00
23			114/2A	00	10	50
24			115/1C1B	00	01	00
25			115/1C1A	00	18	50
26			115/1A	00	04	50
27			118/2	00	03	00
28			118/1A1	00	03	00

29			120/5B	00	06	00
30			120/5A	00	05	50
31			120/4	00	11	50
32			120/3B	00	02	00
33			120/3A1	00	02	00
34			120/2	00	04	00
35			120/1A	00	03	50
36			121/5B1	00	03	75
37			121/5A	00	03	75
38			121/4C	00	02	25
39			121/4B	00	01	50
40			121/4A	00	01	00
41			106/2	00	13	26
42			106/1	00	01	00
43	रघुनाथपुरम-51	किलकराई	291/4B2	00	23	25
44			291/4A1A1	00	13	75
45			292/2A	00	02	10
46			290/3E2	00	08	70
47			290/3D	00	06	60
48			290/1C	00	04	50
49			290/1D	00	00	50
50			289/1A1	00	09	15
51			288/5A2	00	04	50
52			288/5A1A1	00	04	50
53			287/5	00	07	65
54			287/4A2B	00	01	00
55			287/4A2A	00	00	50
56			287/2C2	00	01	00
57			287/3B2	00	09	50
58			287/1A	00	00	20
59			281/11A	00	02	50
60			281/11B	00	03	50
61			281/8D	00	03	70
62			281/7C	00	02	50
63			281/7B	00	02	00
64			281/6B	00	02	00
65			281/6A2	00	07	20
66			281/5	00	05	00
67			281/4	00	02	50

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/34/2025-इएक्सपीएल- पीएनजी(ई-53979)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th March, 2026

**S.O. 1412(E).**— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4057(E) dated the 03<sup>rd</sup> September, 2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 04<sup>th</sup> September, 2025,, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas Product, of Southern Cauvery Asset Pipelines Network Should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 30.10.2025

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government's

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Limited., free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Limited. Shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962. According to Section 13, no suit, or other legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

**SCHEDULE**

<b>District: Ramanathapuram</b>				<b>State: Tamil Nadu</b>		
<b>Sl. No.</b>	<b>Name of Village</b>	<b>Name of Taluk</b>	<b>Survey No.</b>	<b>Area</b>		
				<b>Hect</b>	<b>Are</b>	<b>Sqm.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	KARAN-55	RAMANATHAPURAM	155/4A1	00	06	45
2			155/4A2	00	04	20
3			155/4A3A	00	03	75
4			155/3A1A1	00	09	75
5			155/12	00	01	05
6			155/13	00	04	20
7			155/6	00	03	00
8			157/2A1	00	04	50
9			157/2A2	00	03	15
10			158/1	00	19	20
11			145	00	56	70
12			138/1B	00	49	50

13			139/1	00	16	35
14			168	00	91	00
15			112/2	00	36	80
16			112/1	00	20	50
17			114/7C	00	02	25
18			114/7B	00	02	50
19			114/7A	00	02	10
20			138/1A	00	04	05
21			114/4	00	03	00
22			114/3	00	03	00
23			114/2A	00	10	50
24			115/1C1B	00	01	00
25			115/1C1A	00	18	50
26			115/1A	00	04	50
27			118/2	00	03	00
28			118/1A1	00	03	00
29			120/5B	00	06	00
30			120/5A	00	05	50
31			120/4	00	11	50
32			120/3B	00	02	00
33			120/3A1	00	02	00
34			120/2	00	04	00
35			120/1A	00	03	50
36			121/5B1	00	03	75
37			121/5A	00	03	75
38			121/4C	00	02	25
39			121/4B	00	01	50
40			121/4A	00	01	00
41			106/2	00	13	26
42			106/1	00	01	00
43	RAGUNATHAPURAM-51	KILAKARAI	291/4B2	00	23	25
44			291/4A1A1	00	13	75
45			292/2A	00	02	10
46			290/3E2	00	08	70
47			290/3D	00	06	60
48			290/1C	00	04	50
49			290/1D	00	00	50
50			289/1A1	00	09	15
51			288/5A2	00	04	50
52			288/5A1A1	00	04	50

53			287/5	00	07	65
54			287/4A2B	00	01	00
55			287/4A2A	00	00	50
56			287/2C2	00	01	00
57			287/3B2	00	09	50
58			287/1A	00	00	20
59			281/11A	00	02	50
60			281/11B	00	03	50
61			281/8D	00	03	70
62			281/7C	00	02	50
63			281/7B	00	02	00
64			281/6B	00	02	00
65			281/6A2	00	07	20
66			281/5	00	05	00
67			281/4	00	02	50

[F. No. Expl-13011(26)/34/2025-EXPL-PNG (E-53979)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.